न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 32 सन 2022

अनवान :–

1. सतवीर कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. कृष्ण कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र रूपराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
2. गोरादेवी पत्नी इन्द्राज जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
3. गीता पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 5/7/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 25/308 की कुल 19.6900हैक में से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 656/1969 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1313/1969 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रूपराम वल्द शेराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रूपराम वल्द शेराराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा रूपराम वल्द शेराराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है तथा वादी के दादा रूपराम वल्द शेराराम ने अपने जीवनकाल में सयुक्त परिवार की सम्पति /अन्य कृषि भूमि की आय से भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज करवाई गई थी सयुक्त परिवार की सम्पति से भूमि अर्जित कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवाने के कारण सयुक्त परिवार की सम्पति है ।

इसप्राकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम दर्ज भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का पिता है एव प्रतिवादी संख्या 2 जो वादीगण की माता है जो भूमि काश्त करने में असमर्थ है एव प्रतिवादी संख्या 3 वादीगण की बहन है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो वादी का पिता/माता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner

1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता रूपराम पुत्र शेराराम के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है तथा रूपराम पुत्र शेराराम ने पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पति एवं सयुक्त परिवार की कृषि भूमि की आय से भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज करवाई गई है जो पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिरा पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 25/308 की कुल 19.6900हैक में से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 656/1969 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1313/1969 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रूपराम वल्द शेराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रूपराम वल्द शेराराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा रूपराम वल्द शेराराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है तथा वादी के दादा रूपराम वल्द शेराराम ने अपने जीवनकाल में सयुक्त परिवार की सम्पति /अन्य कृषि भूमि की आय से भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज करवाई गई थी सयुक्त परिवार की सम्पति से भूमि अर्जित कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवाने के कारण सयुक्त परिवार की सम्पति है ।

इसप्राकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम दर्ज भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण का पिता है एव प्रतिवादी संख्या 2 जो वादीगण की माता है जो भूमि काश्त करने में असमर्थ है एव प्रतिवादी संख्या 3 वादीगण की बहन है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाचिक दृष्टान्त आर.आर. डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 25/308 की कुल 19.6900हैक में से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 656/1969 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1313/1969 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि रूपराम वल्द शेराराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा रूपराम वल्द शेराराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा रूपराम वल्द शेराराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा रूपराम वल्द शेराराम ने सयुक्त परिवार की सम्पति/आय से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम भूमि दर्ज करवाई गई थी वह भी पैतृक समपति है वाद भूमि पैतृक सम्पति होने के कारण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादीगण का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति/अर्जित भूमि/सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिरान के खाता संख्या 25/308 की कुल 19.6900हक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1313/1969 हिस्स व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 656/1969 हिस्सा दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1313/1969 हिस्स में से 13.1300 हैक भूमि में वादीगण 6.325 हैक बहिब व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 6.805हैक भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा एव प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 656/1969 हिस्सा में वादीगण बहिब के खातदेार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 5/7/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सतवीर कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. कृष्ण कुमार पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र रूपराम जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
2. गोरादेवी पत्नी इन्द्राज जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
3. गीता पुत्री इन्द्राज जाति जाट साकिन थिराना तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 781 सन 2022 निर्णय दिनांक– 05/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिरान के खाता संख्या 25/308 की कुल 19.6900हक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1313/1969 हिस्स व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 656/1969 हिस्सा दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1313/1969 हिस्स में से 13.1300 हैक भूमि में वादीगण 6.325 हैक बहिब व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 6.805हैक भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा एव प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज 656/1969 हिस्सा में वादीगण बहिब के खातदोर काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 5/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner